

No. HQ/PIO/RTI/264/15

Date: 23.09.2015

श्रीमति सरिता यादव,
पत्नि श्री अजव सिंह यादव,
ग्राम हरिहरपुर, पो-अभिनयपुर,
जिला इटावा, उत्तर प्रदेश।



Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt.13.07.2015, received in this office on 17.07.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

क. सं.	ग्राम	मुआवजा बना है या नहीं	यदि बना है तो कितना/किस आधार पर	बनाने वाले अधिकारी का पदनाम	मुआवजा वितरण न होने का कारण	टिप्पणी
1	हरिहरपुर	हाँ	रु.1,40,480/- सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय दिनांक 26.08.2011 के आधार पर	श्री विमल दुबे (सक्षम प्राधिकारी)	आप द्वारा कार्यालय से चेक न उठाये जाने के कारण।	आप द्वारा वित्त विभाग में प्रार्थना पत्र देने पर नियमानुसार चेक बनाई जायेगी।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अलावा आपका एक और पत्र दिनांकित 22.07.2015 आईपीओ संख्या 31F 814879 (Rs.10/-) के साथ इस कार्यालय में दिनांक 27.07.2015 को प्राप्त हुआ, जिसमें मांगी गई सूचना उपरोक्त संदर्भित पत्र में मांगी गई सूचना के समान ही है अतः आईपीओ संख्या 31F 814879 (Rs.10/-) आपको लौटाया जा रहा है।



(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to : - CPM/Tundla

